२५१/२१

INDIA NON JUDICIAL

PRAKASH JAISWAL
ACC Code-UP14161804 Lic.No.-725
District Court, Prayagraj
Mob.-8696317624
Sadar, Prayagraj

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UP70126944509481T**
Certificate Issued Date	:	18-Sep-2021 03:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14161804/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14161804292144908292 63T
Purchased by	:	HEADWAY EDU AND WELFARE TRUST DR RAMYASH SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	TRUST DEED AS PER DEED
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	HEADWAY EDU AND WELFARE TRUST DR RAMYASH SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	HEADWAY EDU AND WELFARE TRUST DR RAMYASH SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

.................................Please write or type below this line.................................

Rysingh

KC 0004277923

VOID VOID VOID

Statutory Alert: The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

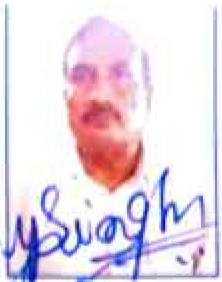

ट्रस्ट–डीड/न्यास पत्र

हम कि डा0 रामयश सिह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, श्रीमती लालती देवी पत्नी डा0 रामयश सिंह, श्री अतुल सिंह पुत्र डा0 रामयश सिंह एवं डा0 अभिषेक सिंह पुत्र डा0 रामयश सिंह इस ट्रस्ट के ट्रस्टी है, जो दिनांक 16.08.2021 को अस्तित्व में लाया गया। मै डा0 रामयश सिंह मुख्य संस्थापक व महासचिव विलेख करते हुए हेडवे एडुकेशनल एण्ड वेल्फेयर ट्रस्ट की घोषणा करते हैं।

ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत् है–

ट्रस्ट(न्यास का नाम) हेडवे एडुकेशनल एण्ड वेल्फेयर ट्रस्ट।

ट्रस्ट का पता–**2H/1F/9R** ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज।

ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय– **2H/1F/9R** ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज। (मो0नं0– 9650436456)

ट्रस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय: ग्राम–मोगरी कड़ा थाना पैंसा जनपद कौशाम्बी।

मो०- 9650436456

आधार संख्या- 981918007529

कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनाने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है।

क0स0	पिता/पति का नाम	पद	पता
1.	डा0 रामयश सिंह	मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन	2H/1F/9R ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज।
2.	श्रीमती लालती देवी	प्रबन्धक	2H/1F/9R ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज।
3.	श्री अतुल सिंह	सचिव	2H/1F/9R ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज।
4.	डा0 अभिषेक सिंह	कोषाध्यक्ष	2H/1F/9R ओ0पी0एस0 नगर कालिन्दीपुरम प्रयागराज।

4. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य :ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे।

- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ यानी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा, मेडिकल कालेज, शिक्षा का प्रचार/प्रसार/उन्नयन, प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।

RYSingh

- अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 मेडिकल कालेज, बी0एस0सी0 नर्सिंग पैरामेडिकल तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थानों, की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में भी स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
- विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे–एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना, शिक्षा का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थानों की स्थापना करना।
- बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यों एवं दायित्यों का निर्वहन अच्छी तरह हो सकें।
- इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझें जायें विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलर्स) इसके कार्यों के प्रदर्शनी पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना ।
- उद्यान(पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना ।
- हिंदू, सिख,जैन, बौद्ध आदि धर्मो के लोगो को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए गुरूद्वारा, मन्दिर निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना और मन्दिर में पूजा के लिए मूर्तिया लगवाना ।
- विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृध्दों, गरीबों, जरूरतमन्दों, अभावग्रस व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह, धर्मशाला, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम गृह, अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोंगों की सहायता करना ।
- शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमे ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा आदि लेकर सहायता की जाय
- अनाथ, गरीब, विकलांग बच्चों हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना ।
- प्राथमिक, माध्यमिक एंव उच्च शिक्षा के क्षेत्रों मे सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी सस्था(एन0जी0ओ0) के रूप मे सहभागिता करना ।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति, पिछडे वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित कार्य, कानून

RySingh

आवेदन सं०: 202100890018267

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 249 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री डा० रामयश सिंह ,
पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: 2एच/1एफ/9आर ओ0पी0एस0 नगर, कालिन्दीपुरम्, प्रयागराज

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 18/09/2021 एवं 03:53:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कुलदीप कुमार सिंह)
उप निबंधक :सदर द्वितीय
प्रयागराज
18/09/2021

रवि शंकर शुक्ला
निबंधक लिपिक

एवं व्यवस्था का विकास , स्वैच्छिकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा(प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि आदि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकाश एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी महिला कल्याण, भाषा धमार्थ कार्य , लोक निर्माण, सिचाई , ग्रामीण अभियन्त्रण, स्वास्थ्य, एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम भूतत्व एवं खनिज कर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा,वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायत राज, बैकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसर्म्पक, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियां, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें,न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट संसिग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारा, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्ध करना।

- उपरोक्त सभी क्रिया–कलापो हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिसद के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी ही अधिकृत होगें
- ट्रस्ट की मूल राशि से उत्पन्न तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय–समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
- ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना एवं गरीब/कमजोर/अनाथ युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में कार्य करना
- छात्र–छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधाएँ भी हों।

न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पतियाँ:– न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक डा0 रामयश सिंह द्वारा दिये गये दस हजार रूपये (10000/–) को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

ट्रस्ट की प्रबंध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी।

RySingh

आवेदन सं०: 202100890018267

बही स०: 4 　　　 रजिस्ट्रेशन स०: 249 　　　 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डा० रामयश सिंह, पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह

निवासी: 2एच/1एफ/9आर ओ0पी0एस0 नगर, कालिन्दीपुरम्, प्रयागराज

व्यवसाय: नौकरी

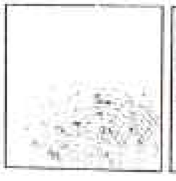

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनोज कुमार सिंह , पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह

निवासी: 218सी/3/1ए जयन्तीपुर, सुलेमसराय, प्रयागराज

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री राजीव सिंह , पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह

निवासी: गोपालपुर, खागा, फतेहपुर।

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कुलदीप कुमार सिंह)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
प्रयागराज

रवि शंकर
निबंधक लिपिक

- ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्यास की सम्पत्तियों तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय-समय पर उपयोग करना।
- न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिये चल व अचल सम्पत्तियों प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विकय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना लाइसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमो के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजानाओं में लगाना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिव्यू चाहें वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों वनिकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो की किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- न्यास की सम्पत्ति या क्रिया-कलापों के जरूरी प्रबन्ध के लिये न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियों किसी न्यासी या अन्य वयक्ति को प्रतिनिधिनित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड सिकी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।

Ryaingh

- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उसमें परिवर्तन कराना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नही होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तो के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- न्यास राशि के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो, दावों, मांग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौपने तथा समायोजित करना।
- न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाये बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यासो द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों के प्रबन्ध आदि हेतु योजनओं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी पूर्त संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उददश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास विधि में जमा करना।
- देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थाए/सोसाइटी/संगठन आदी की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायत करना, जिनके उददेश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उददेश्यों की पूर्ति कर सके। ऐसे न्यासो, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उददेयों हेतु संचालित करना।
- संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुये न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, मांगों दावों या वाद–विवाद में जैसा व उचित समझे समझौत करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौपना।
- न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना या न्यासीगण की सहमति पर न्यास की उददेश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीकरण की विवेकानुसार किया जायेगा।
- न्यास की उददेश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य संस्थापन ट्रस्टी द्वारा सरकार, सहकारी संस्थाएं, कोपोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिये प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना, इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागो, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उददेश्य की प्राप्ति हेतु वर्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि निर्धारित करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उददश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

RVSingh

- ➢ न्यास की अन्य शाखा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिसके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित कराना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ➢ ऐसे संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबन्धित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस समबन्ध में शर्ते लागू करना।
- ➢ इस न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- ➢ न्यास को उन अन्य समिति संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तो में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
- ➢ न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमो का समय-समय पर संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होगें।
- ➢ न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध-न्यासी व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस समबन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- ➢ न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सकें।
- ➢ न्यासीगण को यह अधिकारी होगा कि वे आर्थिक तकिनीकी व अन्य प्रकार की सहायत व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है, जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- ➢ न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत क निर्णय के आधार पर कर सकेगें और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानून व उचित माने जायेगे।
- ➢ उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टी या वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।
- ➢ ट्रस्ट की संम्पत्ति की आय में से ट्रस्टी निम्नलिखित खर्च करने या खर्च करने का हकदार होगा अर्थात्:
    - सभी दरें, कर, उपकर, निर्धारण, देय, और शुल्क यदि कोई हो, जो सरकार को उसके सम्बन्ध में या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी नगरपालिका या अन्य सार्वजनिक निकायों को देय हो

RSingh

- ट्रस्ट सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाले भवनों या किसी अन्य बीमा योग्य सम्पत्ति के बीमा के लिए प्रीमियम
- सामान्य मरम्मत की लागत और कुछ समय के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाले भवनों को कोई भी सुविधा प्रदान करने के लिए।
- ट्रस्ट की सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाले भवनों में ऐसे परिवर्धन/परिवर्तन या सुधार करने की लागत, जैसा कि न्यासी उचित समझेगें।
- इस ट्रस्ट के संचालन में ट्रस्टियों द्वारा नियोजित किसी भी प्रबंधक, पर्यवेक्षक, लेखागार,क्लर्क, नौकर या अन्य कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन।
- ट्रस्ट की सम्पत्ति को अच्छी स्थिति में रखने की लागत और खर्च।
- ट्रस्ट की सम्पत्ति का हिस्सा बनने के लिए इमारत में विद्युत और अन्य प्रतिष्ठानों को स्थापित करने और पुनर्निर्मित करने के लिए लागत और खर्च।
- ट्रस्ट के प्रशासन के दौरान लगे अन्य पेशेवरों को देय आर्किटेक्ट का शुल्क और कानूनी शुल्क और शुल्क।
- ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन के लिए अन्य सभी लागत, शुल्क और खर्चे और इसके उद्देश्यों और उददश्यों के अनुसार या जो उसके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- ट्रस्टी की सम्पत्ति से प्राप्त कुल सकल आय में से न्यासी द्वारा किये गये लागत शुल्क और व्यय की कटौती के बाद, शेष राशि जो कि शुद्ध आय है का उपयोग न्यासी बोर्ड द्वारा तय किये गये ट्रस्ट की वस्तुओं के लिए किया जायेगा।
- इसी प्रकार से अन्य सम्बन्धित खर्चे।

ट्रस्ट का कार्यकाल :—

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बने रहेगा इनके न रहने पर अथवा त्यागपत्र दिये जाने की स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की सदस्यता :—

ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या: 04 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से एक लाख रूपये (रू0 1,00,000/—) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये स्थायी सदस्य बनाया जा सकता हैं। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिये ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता हैं इस सदस्य को साधारण सदस्य कहा जायेगा। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योगयता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को एक लाख रूपये (रू01,00,000/—) दान दें, संस्थापक सदस्यों

R Singh

के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते है, परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी मुख्य संस्थापक/ अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी ही होगा।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी :–

1. ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।

2. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना ट्रस्ट के लिये सम्पत्ति अर्जित करने एवं समय समय पर उनका विघटन, विलयन का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को ही होगा।

3. ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रदान करना।

4. न्यास/न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के कियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यस से निश्चित करना।

5. न्यास के सभी पत्राचार मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन के नाम होगें।

6. न्यास की समस्त राशियों का व खातो का संस्थापक ट्रस्टी के द्वारा संचालन होगा।

7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें प्रस्तुत करना।

8. जहॉ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहॉ अन्तिम निर्णय देना।

9. मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का कय–विकय लीज(पट्टा) करना एवं वादों का निरतारण की पैरवी करेगा।

10. मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों कों ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

11. मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है।

12. मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी संस्था के कर्मचारीयों की नियुक्ति, निलंबन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

13. मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी किसी भी समय किसी भी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है।

14. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।

सदस्य ट्रस्टीः– साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य् हित मे् निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंगः–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी

1. साधारण सभा।

2. प्रबंधकारिणी ट्रस्ट।

RPSingh

साधारण सभा (गठन):– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबंध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें इसके अतिरिक्त 1,00,000/– रू0 मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये संस्थाओं के लिए होगें।

बैठकें:–

1. साधारण बैठकें:– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।
2. विशेष बैठकें– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यकता बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:– साधारण स्थिति में प्रबंधकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव/मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टें की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठके बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति:– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है, यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन:– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य :– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होगें।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष की योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबंन्धकारिणी समिति:–

गठन:– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें निम्न पद होगें। प्रबन्धक, सचिव/मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है। लेकिन प्रबन्धक पद मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहती। प्रबन्ध समिति कालीतीत नही होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

Rysingh

बैठकें:–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी समिति, महासचिव एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव मुख्य संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति :– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूण्र मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :– यदि किसी सदस्तय के असामयिक निधन या त्योग पत्र या दिवालियापान या पालग हो जान पर या ट्रस्ट(न्यास) से निष्कासित बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यदि प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिये लागू भी होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,00–00 रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद संस्थापक/अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक हैं ।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य :– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्निलिखित कर्तव्य होंगे

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थओं में कर्मचारियों की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4. आय–व्यय का ब्यौरा रखनार तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती हैं। नियमावली की कटिंग, अशुद्धि, संशोधन छूटे हुये शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी का होगा।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष :–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन मुख्य संस्थापक /अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी के हस्ताक्षर

R.y.Singh

से संयुक्त रूप से अथवा एकल किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबंधकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परिक्षण कराया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व – ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख – ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक /अध्यक्ष/चेयरमैन ट्रस्टी के पास होगें।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 इत्यादि आयकर अधिनियम 1960 के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना की जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगो को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

विघटन :– अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति होती है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व ट्रस्ट के किसी सदस्य का नही होगा। ट्रस्ट (न्यास) के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी एवं सम्पत्ति किसी ट्रस्ट संस्था या सोसायटी को आन्तरित कर दी जायेगी। जिसका उद्‌देश्य इस ट्रस्ट के समान हो।

मुबलिग-750/-रूपये जरिये e-Stamp Certificate No. IN-UP70126944509481T Date : 18-09-2021 नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

गवाह नं0-1 का विवरण			
फोटोचित्र	हस्ताक्षर	नाम, पिता का नाम एवं पता-	मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह निवासी-218सी/3/1ए जयन्तीपुर, सुलेमसरांय, परगना व तहसील-सदर, जनपद प्रयागराज।
	मनोज कुमार सिंह	आई0डी0 नं0-	आधार कार्ड संख्या-4542 8099 9212 मो0नं0-8924895346

गवाह नं0-2 का विवरण			
फोटोचित्र	हस्ताक्षर	नाम, पिता का नाम एवं पता	राजीव सिंह पुत्र श्री प्रेम नारायण सिंह निवासी ग्राम-गोपालपुर, तहसील-खागा, जनपद फतेहपुर।
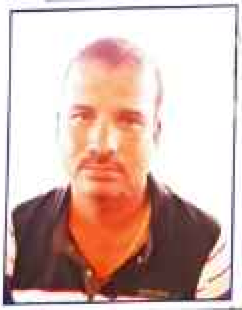	Rajeevsingh	आई0डी0 नं0-	आधार कार्ड संख्या-5506 0671 3423 मो0नं0-9792335173

RySingh

मसविदाकर्ता

बी०के० त्रिपाठी एडवोकेट
सिविलकोर्ट, प्रयागराज।

टाइपकर्ता

दिनांक –18.09.2020

आवेदन सं०: 202100890018267

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 129 के पृष्ठ 233 से 260 तक क्रमांक 249 पर दिनॉक 18/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कुलदीप कुमार सिंह)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
प्रयागराज
18/09/2021